

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-11/2025/.....2.16...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक- 06.02.2026

विषय:-COVID-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य संसाधन से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के अंतर्गत रु० 92.00 लाख (बानवे लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत ।

- इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत,उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010003 में विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- आवंटित/पूर्व आवंटित राशि की जिलावार विवरणी निम्नानुसार है :-
(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अधियाचना पत्रांक/दिनांक	स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई अधियाचना एवं अनुशंसा के आलोक में मृतकों की संख्या	COVID-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों हेतु राज्य संसाधन से रु० 4.00 लाख प्रति मृतक की दर से आवंटित राशि		
				पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	मधुबनी	112 (12) दिनांक- 27.01.2026	2	0.00	8.00	8.00
2	पूर्वी चम्पारण		2	0.00	8.00	8.00
3	वैशाली		1	12.00	4.00	16.00
4	पटना		2	4.00	8.00	12.00
5	सुपौल		9	16.00	36.00	52.00
6	नवादा		7	0.00	28.00	28.00
कुल			23	32.00	92.00	124.00

- उक्त आवंटन से स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक-112(12) दिनांक-27.01.2026 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-2098/आ0प्र0 दिनांक-09.06.2021 के आलोक में COVID-19 से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को राज्य संसाधन से रु० 4.00 लाख की दर से भुगतान किया जाएगा।
- आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाए।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(संदीप कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-03/बजट-01-11/2025/2.1.6/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-06.02.2026
प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक-112 (12) दिनांक-27.01.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, पटना, सुपौल एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
8. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)

विशेष कार्य पदाधिकारी